

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
महावीर कैसर सरथान,  
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनाक..

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	प्रमिला देवी पति-महेन्द्र पासवान ग्राम-बाबुमहल पो०-भैरोगज थाना-आनदपुर ओ०पी० जिला-बाका एम०सी०एस-जी० 11234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अनिता देवी पति-पवन कुमार राय ग्राम-पुरषोतमपुर पो०-बहोरनपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एम०सी०एस-एफ 76260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	चन्द्रेश्वरी यादव पिता-जगदेव यादव ग्राम-मिरदौल पोस्ट-मिरदौल थाना-नरपतगज जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 8624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	श्रीमती देवी पति-रघुनाथ सिंह ग्राम-लकठ छपरा वार्ड 13 पो०-योगिया थाना-रसुलपुर जिला-सारण एम०सी०एस-जी० 10300	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	जनार्दन सिंह पिता-कैलाश सिंह ग्राम-हसनपुर पोस्ट-रेहुआ थाना-पिपरिया जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 10448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	श्याम पंडित पिता-छट्टु पंडित ग्राम-पथरौरा पो0-डोईया थाना-नूरसराय जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 9389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	गुडिया देवी पति-मिथीलेश पासवान ग्राम-पिन्डौता खुर्द पोस्ट-तिसिऔता धर्मपुर थाना-तिसिऔता जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 10898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	नगीना देवी पति-आनद कुमार ग्राम+पो0-रामपुर श्यामचद थाना राघोपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 10453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	गिरिश यादव पिता-शिव यादव ग्राम-पूर्वी भट्टा पो0-इस्माइलपुर थाना-इस्माइलपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 10631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शिवनारायण राय पिता-विन्दा राय ग्राम-चकसहबाज पो0-माडर थाना-परसा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 10512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	महेन्द्र प्रसाद पिता-स्व0 बुझावन चद्रवंशी ग्राम-डुमरा पोस्ट-बडकी महुली थाना-करगहर जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 6287	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	लीलावती देवी पति-दिनेश चौधरी ग्राम-अमई बिहारी टोला पो0-हसन बाजार थाना-हसन बाजार जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 92044	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रेणु कुमारी पति-सुरेन्द्र सिंह ग्राम-वार्ड 10 सिहुरी पो0-बेल थाना ओबरा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 8738	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	कलावती देवी पति-सजीव कुमार यादव ग्राम-छोपाल टोला पो0-लालपुर भदेर थाना-कहलगाव जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 10526	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	अशोक कुमार पिता-बासुदेव प्रसाद सिंह ग्राम-पदुमचक पो0+थाना-बाराचट्टी जिला-गया एम0सी0एस-जी0 10574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	राजु मसुरी पिता-सर्फुदीन मसुरी ग्राम-झुनपुर पोस्ट-बिन्दुसार बुजुर्ग थाना-महादेवा ओ0पी0 जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मास्टर अभिषेक कुमार पिता-राम भवन ठाकुर ग्राम-इदिरा नगर सजय नगर वार्ड 30 पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 8836	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	ललीता देवी पति-लाल बाबु महतो ग्राम-काकर पोस्ट-रहिअर काची थाना-शिवाजी नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 9888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	कविता देवी पति-पप्पु यादव ग्राम-मनियारपुर वार्ड 04 पो0-बाका थाना-बाका जिला-बांका एम0सी0एस-जी0 8146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मैमुन खातुन पति-मोहम्मद फकरुद्दीन ग्राम-बीरपुर वार्ड 09 पोस्ट-बीररूपुर थाना-बीरपुर पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 8466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	धर्मनाथ चौधरी पिता- सत्य नारायण चौधरी ग्राम-पतीला पोस्ट-चतरा थाना-कोपा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 10427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	इलाइची देवी पति-स्व0 बीरेदर प्रसाद ग्राम-मशरक तखत पोस्ट-मशरक थाना-मशरक जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 9898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मिट्टु कुमार सिंह पिता-लडडु सिंह ग्राम-बलुआघट्टी पोस्ट-हेमकुज थाना-अमदाबाद जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 10121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	बिदिया कुमारी पिता-मुकुद कुमार सिंह ग्राम-हरिपुर पो0-फुदकीचक थाना गोगरी जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 11171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सुदामा देवी पति-विदेशी बैठा ग्राम-सलेमपुर पो0-नन्दलालपुर थाना-लालगज जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 10994	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	प्रदीप राउत पिता-जनक राउत ग्राम-दक्षिण दरवाजा पोस्ट-चौद चौरा थाना-विष्णुपद जिला-गया एम0सी0एस-जी0 10308	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मेहानी देवी पति-लखन पासवान ग्राम+पो0-खरसारी थाना-जमुई जिला-जमुई एम0सी0एस-जी0 9333	बोन मैरो ट्रास्ट्लाट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सगीता देवी पति-मनोज कुमार ग्राम-खुरासान पो0-रसलपुर थाना-सलखुआ जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 87471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	गुडिया शर्मा पति-सुशील कुमार शर्मा ग्राम-जमालपुर पोस्ट-शुभई थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 10280	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	कारी देवी पति-दुखी बिद ग्राम-मानपुर पो0-मालिया थाना-चानन जिला लखीसराय एम0सी0एस-जी0 9086	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	विद्याता देवी पति-भुना यादव ग्राम-छपकी पो0-छपकी थाना-बीरपुर जिला बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 9672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	जयमती देवी पति-राम बली यादव ग्राम-बगाली बिगहा पोस्ट-गिरियक थाना-गिरियक जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 10195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मीना देवी पति-रत्नेश कुमार सिंह ग्राम-सरौत पो0-भागर थाना-सिसवन जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	जयनदन यादव पिता-स्व0 हरि यादव ग्राम-मुसेपुर पोस्ट-कोईल भूपत थाना-मेहदिया जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 8138	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	काति देवी पति-भगवान ठाकुर ग्राम-बडी खगौल डीह पो0+थाना-खगौल जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुनैना देवी पति-नगीना पासवान ग्राम-डीहरी पो0-पैन थाना-शेखपुरा जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 98132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	करुणा देवी पति-गौरीशकर भगत ग्राम-अमरपुर वार्ड 06 पो-अमरपुर थाना-सोनवर्षा कचहरी जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 9729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सजीत कुमार पिता-राज कुमार यादव ग्राम-अम्बा बिगहा कजुर पो0-राजवाडा थाना-अतरी जिला-गया एम0सी0एस-जी0 10726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	तारा बेगम पति-कैमुदीन ग्राम+पो0-देवचन्दा थाना-पीरो जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 99454	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	अनिता देवी पति-मुनेश्वर झा ग्राम-करियन वार्ड 7 पो0-करियन थाना-रोसडा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 10769	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	कपिलदेव सिंह पिता-गोनौर सिंह ग्राम-मैबी वार्ड 07 पो0-किशनपुर थाना बथनाहा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 58433	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	किरण वर्मा पिता-बिन्देश्वरी प्रसाद ग्राम-शिवपुरी रामचन्द्रपुर पो0-बिहार शरीफ थाना-लहेरी जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 10037	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अजय कुमार पिता-विशेषवर सिंह ग्राम-नियाजीपुर वार्ड 08 पोस्ट-फतुहा थाना-फतुहा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सुरेन्द्र राय पिता-सोगारथ राय ग्राम-सेमरी वार्ड 10 पो0-मजिरवा थाना-लखौरा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10684	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	अम्बिका देवी पति राम निवास मिश्र ग्राम+पो0-श्याम सिधप थाना-बाबु बरही जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 1094	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	बेबी देवी पति-बाके बिहारी कुमार ग्राम-भिडहा पो0-अमरपुर थाना-मेदनी चौक जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 2232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	मती देवी पति-सुदामा पासवान ग्राम-फरासपुर पो0-मोहिउद्दीनपुर थाना-चिकसौरा जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 7322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	प्रमोद डॉम पिता-राजेन्द्र डॉम ग्राम-थाना के पास ओबरा पो0-ओबरा थाना-ओबरा जिला-औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 5040	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	पारो देवी पति-योगिन्द्र दास ग्राम+पो0-अम्बा थाना-शाहकुड जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 54883	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	गीता देवी पति-दारा सिंह ग्राम-राजगँव पो0-बरमसिया थाना-ईशीपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 8537	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	बाबुल कुमार पिता-मनीष कुमार यादव ग्राम-नदग्राम पो0-धमदाहा थाना धमदाहा जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 11345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	आजाद कुमार यादव पिता-राम सिंगार यादव ग्राम-महमुदा पो0-रोहार थाना-बिरोल जिला दरभंगा एम0सी0एस-जी0 10521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	दुरपति देवी पति-ललन साह ग्राम-कोरारी कला पो0-दरौदा थाना-दरौदा जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10214	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	शाति देवी पति-बुद्धदेव प्रसाद दास ग्राम-जहानगीडीह पो-सोन्था थाना-कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 6995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	किरण देवी पति-लाल बहादुर सिंह ग्राम-करौती पोस्ट-करहरी थाना-सिगोरी जिला-पटना एम0सी0एस-ई0 26653	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सगीता देवी पति-अजय राम ग्राम-बीजा पो0-डोभी थाना-डोभी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 91031	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
57	भावना कुमारी पति-शक्ति शरण माथुर ग्राम-चौधरी कोलनी पोस्ट-बिहार शरीफ थाना-बिहार शरीफ जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 82726	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
58	रुकमणी देवी पति-विनय सिंह ग्राम-केरका पो0-खदहा थाना-एन0टी0पीसी0 खैरा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 95992	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	हिरामन देवी पति-राम दुलार सिंह ग्राम-देनरी पो0-गोडारी थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 11065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	रीना कुमारी पिता दुदुन यादव ग्राम-नावानगर पोस्ट-नावानगर थाना-उदवत नगर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 19781	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

61	महमुद असारी पिता-निजामुदीन असारी ग्राम-भरथुई पोस्ट+थाना-धनौती जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 2928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	अमाईरा परवीन पिता-मो0 अन्नु ग्राम-पिरवैश मार्केट आलमगज पो0-गुलजारबाग थाना आलमगंज जिला पटना एम0सी0एस-एफ 97278	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	महेन्द्र साह पिता-राम बाबु साह ग्राम-रामराय सिघारा पोस्ट-सिघारा थाना-महुआ जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 10782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	देवन्ती देवी पति-नागेश्वर पासवान ग्राम-पुरवा पोस्ट-चन्द्रालय थाना-हाजीपुर सदर जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 90232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	सुनीता देवी पति-श्याम बाबु वर्मा ग्राम-खोरैठा पो0-बिक्रम थाना-बिक्रम जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	सौरव कुमार पिता-भागीरथ राय ग्राम-अमेर पो0-नावानगर थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 10303	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	मिश्री पडित पिता-शिव पुजन पडित ग्राम-दलेया वार्ड 12 पो0-अमवा नकछेद थाना-कुचाय कोट जिला गोपालगंज एम0सी0एस-जी0 4232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	शाति देवी पति- जय लाल यादव ग्राम-हरनाहा टोला लोदी कटरा, पो0-झाउगज थाना-खाजेकला जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 76046	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
69	विमला देवी पति-हाकिम साह ग्राम+पो0-सिकरिया थाना-तियर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 8373	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	नाजमा खातुन पति-अली अख्तर असारी ग्राम+पो0-पथरा थाना-मांझागढ जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 6526	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	सुनीता देवी पति-अवधेश पासवान ग्राम-मेह पो0-सौदरी कर्मा थाना-नरारी कला जिला-औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 7569	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	सोना देवी पति-बैद्यनाथ चौधरी ग्राम+पो0-हरिहॉस पो0-हुसैनगज जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 9746	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	चन्दन प्रसाद चौरसीया पिता-कृष्णा प्रसाद चौरसीया ग्राम-बडी खगौल दुर्गा स्थान पो0-खगौल थाना-खगौल जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	रूखसाना खातुन पति-मो0 मकबुल ग्राम+पो0-बथिया थाना-मनगाछी जिला-दरभगा एम0सी0एस-जी0 9144	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	मालती देवी पति-स्व० कामेश्वर सिंह ग्राम-बडकी खैरी पो०-सिलारी थाना-शिव सागर जिला-रोहतास एम०सी०एस-एफ 19958	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	शिवजी बैठा पिता-मोती लाल बैठा ग्राम-पिहुली पो०-पिहुली थाना-असाँव जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 97391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	रीता देवी पति-यमुना प्रसाद यादव ग्राम-केवटना पो०-केवटना थाना-फुलपरास जिला मधुबनी एम०सी०एस-जी० 1316	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
78	मंजो देवी पति-शकर सहनी ग्राम-नया टोला बैलिया पो०-आइरन बैलिया थाना-मनिहारी जिला-कटिहार एम०सी०एस-जी० 9743	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	ममता देवी पति-दीपक कुमार ग्राम-अशोक चक्र गली पो०-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 9213	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	जवाहर प्रसाद पिता-राम स्वरूप साव ग्राम-महल्लापर बरबीघा पो०-बरबीघा थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा एम०सी०एस-जी० 9065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	बबलु यादव पिता-भोला यादव ग्राम-सलेमपुर पोस्ट-डीहा थाना-थरथरी जिला-नालदा एम०सी०एस-जी० 8380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	शकर ठाकुर पिता-तेज नारायण ठाकुर ग्राम-भरको पो0-भरको थाना-अमरपुर जिला-बाका एम0सी0एस-ए 89835	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
83	गुडिया देवी पति-जगदीश साह ग्राम-बेतौरा पोस्ट-सतजोरा बाजार थाना-पानापुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 10399	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
84	गुप्ता ताती पिता-नुनेश्वर ताती ग्राम-हरनी पो-खलारी थाना-खैरा जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 88590	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
85	साहिना इकबाल पति-मो0 इकबाल अहमद ग्राम-गडेरिया खड जहानाबाद पोस्ट+थाना-जहानाबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 62516	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
86	सजु देवी पति-भुपदेव महतो ग्राम-रूपवलिया दोन वार्ड 03 पो0-शेरवा दोन थाना-गोबरहिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
87	बृजनाथ कुवर पति-लाल बाबु राय ग्राम-बरुही वार्ड 04 पो0 बरुही थाना-सहार जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 9943	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
88	रोली कुमारी पिता-राम भरोसा यादव ग्राम-तिलकपुरा पो0-अम्हारा थाना-नौबतपुर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 10590	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

89	अर्जुन सिंह पिता-जीतु सिंह ग्राम-भटडीपुर पो0-बिटन्डीपुर थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 75927	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
90	अजय कुमार सिंह पिता-स्व0 जमुना प्रसाद ग्राम-हसनचक पोस्ट+थाना हरनौत जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 8716	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	निरजन मडल पिता-देवनदन मडल ग्राम+पो0-अकबर नगर थाना अकबर नगर जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 69937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	ऋतु कमारी पिता-निरजन प्रसाद सिंह ग्राम-तेवाचक वार्ड 06 पो0-जोटा थाना-धोरेया जिला-बाका एम0सी0एस-जी0 5582	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	विनोद कुमार पिता-हीरामन ठाकुर ग्राम-चक बिहारी पो0-नन्दलाल बाद थाना-गौरीचक जिला पटना एम0सी0एस-एफ 20143	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
94	प्रकाश पासवान पिता-भागीरथ पासवान ग्राम-अमौर पो0-कोथर थाना फतेहपुर जिला-गया एम0सी0एस-जी0 10787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	शम्भु प्रसाद पिता-बाल गोविन्द प्रसाद ग्राम-धोबी टोला दाउद नगर पो0+थाना-दाउद नगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 10990	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	मो० फिरोज पिता-मो० गफफार ग्राम-चरपोखर इंग्लिश वार्ड 11 पो०-गज भडसरा थाना दिनारा जिला-रोहतास एम०सी०एस-ई० 21324	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
97	नन्द किशोर साह पिता-सत्य नारायण साह ग्राम-बिरवट बाजार पो०-जगरनाथ बाजार थाना-उचका गाव जिला-गोपालगज एम०सी०एस-एफ 81193	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
98	सत्येन्द्र चौधरी पिता-झपसी चौधरी ग्राम-भगवानपुर पो० चडी थान-चडी जिला नालदा एम०सी०एस-एफ 97337	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	छगुरी शर्मा पिता-स्व० सौदागर ताती ग्राम-श्रीरामपुर टुठी पो०-तेमथा थाना-परबता जिला-खगडिया एम०सी०एस-एफ 94719	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
100	होरिल यादव पिता-स्व० बाबु लाल यादव ग्राम-तिलाठ पो०-तिलाठ थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 8768	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	मुकेश कुमार सिंह पिता- सियाराम सिंह ग्राम-पतला पो०-समसपुर थाना-महेशखुट जिला-खगडिया एम०सी०एस-जी० 10149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	शोभा देवी पति-शशि यादव ग्राम-सलेमपुर पो०-सलेमपुर थाना-अमरपुर जिला बाका एम०सी०एस-एफ 10602	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	किस्मती देवी पति काशी महतो ग्राम-अहियापुर पो0-अहियापुर थाना-साहेबगंज जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी 10432	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	कुमारी कृष्णा पति-सहदेव मल्लिक ग्राम-बाघी पो0-बाघी थाना-कर्पूरी ग्राम जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 1454	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
105	सुजीत कुमार पिता-सुरेश प्रसाद सोनी ग्राम-निकट आनंद कम्पलेक्स बेली रोड पो0-बी0भी0 कालेज थाना-हवाई अड्डा जिला पटना एम0सी0एस-एफ 89314	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	आशा देवी पति-धीरज कुमार ग्राम-ससा पो0-ससा थाना-दाउद नगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 46033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	सुदामा देवी पति-कृष्णा महतो ग्राम-खैरवा टोला पो0-मनियारी थाना-पुनौरा जिला सीतामढी एम0सी0एस-एफ 98600	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	सबीला खातुन पति-मो0 इरशाद ग्राम+थाना-बिहपुर पो0-बीहपौर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9662	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	बबली खातुन पति-गोविन्द सिंह ग्राम-बुधवलिया मगलपुर पो0-तेलुआ थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 87874	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

110	शकर कुमार मडल पिता-सदानन्द मडल ग्राम-नगर पचायत रानीगज पो0-मेरीगज थाना-रानीगज जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 9177	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	गोसाई मडल पिता-नागेश्वर मडल ग्राम-बिशनपुर पोस्ट-बिशनपुर थाना-सरायगढ भपटियाही जिला सुपौल एम0सी0एस-जी 8013	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	अर्जुन राय पिता-राजेन्द्र राय ग्राम-हजपुरवा पो0-राघोपुर पूर्वी थाना-जुरावनपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 99037	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	सीता देवी पति-विपिन राम ग्राम-रामनगर पो0-मनकठा थाना-अमहरा जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 9730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	अनिल शर्मा पिता-अखिलेशरी शर्मा ग्राम+पो0-पावा थाना-दीप नगर जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 7226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	सुनील राम पिता-मगनी राम ग्राम-मगुरहा टोला बानुछापर पो0-बानु छापर थाना-बानु छापर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 7660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	डोमी मोची पिता-गोपी मोची ग्राम-अदलपुर पोस्ट-बेहट थाना-आर0एस0 जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 96033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	सोहानी कुमारी पिता-मनीष कुमार ग्राम-महम्मदपुर पो0-इब्राहिमपुर थाना-सरमेरा जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 10731	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	इंदु देवी पति-उमेश प्रसाद साव ग्राम-इद्रानगर पो0-जोगबनी थाना-जोगबनी जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 8076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	प्रियाशु कुमार पिता-गौतम कुमार ग्राम-बुमेर पो0-जैगीर थाना बाराचट्टी जिला-गया एम0सी0एस-जी0 144	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	शहीना प्रवीण पति-फुल मोहम्मद ग्राम-दोगच्छी पोस्ट-महेशबथना थाना-बहादुरगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 6381	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	मो0 रिजवान असारी पिता-मो0 नसीम असारी ग्राम-गुदरी बाजार रोड न0-10, पो0-बैरगनिया थाना-बैरगनिया जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 91602	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
122	मीना खातुन पति-मो0 हारुण राइन ग्राम-बशडीह पोस्ट-घोसराम थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 5760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	सजय शर्मा पिता-अयोध्या शर्मा ग्राम-पाली पो0-उतरैन थाना-कोच जिला-गया एम0सी0एस-एफ 99525	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

124	अरविन्द कुमार पिता-योगेन्द्र वर्मा ग्राम-पो0-मोहजम्मा थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 10834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	राज कुमार सिंह पिता-राम जन्म सिंह ग्राम-सहादी पो0-पुरैना थाना अमनौर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 7211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	हजरा खातुन पति-अब्दुल्लाह अहमद ग्राम-इस्माइल शहीद तकिया पो0-सिवान थाना-सराय ओ0पी0 जिला-सिवान एम0सी0एस-ई0 49966	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
127	विकास कुमार पिता-मटु चौधरी ग्राम-पो0-बेलछी थाना-बेलछी जिला पटना एम0सी0एस-जी0 2144	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	राज कुमार साह पिता- सतोषी साह ग्राम-सिवाईपट्टी पो0-सिवाई पट्टी थाना-सिवाई पट्टी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 64629	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
129	ईला सहाय पिता-बिरेन्द्र सहाय ग्राम-जयनाथ निवास कार्नर आफ चिरैयाटाड ओल्ड हाई स्कूल लेन पो0-जी0पी0ओ0 थाना-ककडबाग जिला पटना एम0सी0एस-एफ 83567	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
130	सुनीता देवी पति-श्याम प्रसाद सिंह ग्राम-बडी बथना पोस्ट-सिरनिया थाना-मनसाही जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 78989	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	बच्ची देवी पति-हरीशचन्द्र पटेल ग्राम-बिश्नुपुर सरैया पोस्ट-देवरिया थाना-देवरिया जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 56818	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
132	मालती देवी पति-रविन्द्र कुमार ग्राम-पो0-रैसा थाना-चडी जिला-नालन्दा एम0सी0एस-एफ 59543	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
133	विमला देवी पति-विनय कुमार शर्मा ग्राम+पो0-केशोपुर थाना-हिलसा जिला-नालदा एम0सी0एस-ई0 75988	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
134	राज कुमार पिता-ईश्वर दयाल राम ग्राम-नहर के पास बलुआ टोला, पो0-पीरो थाना-पीरो जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 6762	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
135	सोनी कुमारी पति-शिशुवत राय ग्राम-बदराबाद पो0-मदनपुर थाना-एकगरसराय जिला-नालन्दा एम0सी0एस-एफ 60701	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
136	सीता देवी पति- नीलकमल पासवान ग्राम+पो0+थाना- औगारी जिला- नालदा एमसीएस नं0- एफ 84000	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
137	पुनिया देवी पति- भगीरथ साह ग्राम- सोनामुखी पो0- गगापुर थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा एमसीएस न0- जी 10109	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

138	जितेन्द्र कुमार पिता- अजय कुमार सिंह ग्राम- बरडी वार्ड 07 पो0- बहादुरगज थाना- कतरीसराय जिला- नालदा एमसीएस न0- जी 10562	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
			<b>1,05,90,000</b>	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,05,90,000/- (एक करोड़ पाँच लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002586 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 387 (14)

पटना, दिनांक 11/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002586 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक. ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	असगरी खातून पति- मो० साबिर ग्राम- ओल्ड करीमगज कब्रिस्तान गली वार्ड 25 पो०- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- सिविल लाईन जिला- गयाजी सीआर न०- 108112600099905	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मालती देवी पति- विनोद कुमार ग्राम- पगम्बरपुर वार्ड 06 पो०- फतुहा थाना- खुशरूपुर जिला- पटना सीआर न०- 108112600033696	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शाहीन प्रवीण पति- अफसर खान ग्राम- पटनियों वार्ड 05 पो०- पटनियों थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112300135535	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	ब्रह्मचारी महतो पिता- गगा महतो ग्राम- कसमर पो०- खारिका थाना- पहलेजा जिला- सारण सीआर न०- 108112300138763	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मायावती देवी पति- ब्रह्मदेव ठाकुर ग्राम- गौधी पथ न्यू कॉलोनी वार्ड 39 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर नं0- 108112503659629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	इन्द्रजीत राम पिता- चूल्हाई राम ग्राम- रामपुरानी वार्ड 14 पो0- बिरना लखना सेल थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501343438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	प्रमिला देवी पति- दयाननद यादव ग्राम- शकरपुर वार्ड 07 पो0- शकरपुर थाना- रानीगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112503499877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	नजमून खातून पति- मो0 जफेरे आलम ग्राम- रघेपुरा वार्ड 09 पो0- बरहा थाना- पतुना जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502720928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	गुलजार फातमा पति- खुसमुद्दीन सिद्दीक ग्राम- रामपुर वार्ड 10 पो0- हरहिरपुर कला थाना- जामौ बाजार जिला- सिवान सीआर न0- 108112502589155	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	भोला राय पिता- कुशेश्वर राय ग्राम- राजपुर जौनापुर पो0- राजपुर थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502989111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	दिनेश मुखिया पिता- दुखरन मुखिया ग्राम- डखराम पो0+थाना- बहेरा जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600066799	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सतोष कुमार पिता- मुंशी साव ग्राम- कमला नेहरू नगर वार्ड 21 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना सीआर न0- 108112600034528	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	हीना कुमारी पति- करन राज ग्राम- मॉ दुर्गा नगर चक चन्द्रालय वार्ड 08 पो0- चन्द्रालय थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501623091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	जगमाया देवी पति- बालेश्वर सिंह ग्राम- फूलहारा बाजार वार्ड 04 पो0- बिदुपुर थाना- बराटी जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502629240	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	इसरत प्रवीण पति- शारूख आलम ग्राम- पारसमणि वार्ड 10 पो0- पारसमणि थाना- सरसी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112503557851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सिनेही राय पिता- रामबृक्ष राय ग्राम- नथू टोला बथनाहा वार्ड 04 पो0+थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503233397	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सत्या राय पिता- गगाधारीराय ग्राम- मानस नया पानापुर वार्ड 05 पो0- मानस थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112503556927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	शिवनारायण यादव पिता- पतेश्वर यादव ग्राम- बीरपुर वार्ड 12 पो0- बीरपुर थाना- ललमनियॉ जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112503667991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	धनमती देवी पति- नागेश्वर साह ग्राम- हरिहरपुर पो0- रजौली थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502988521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुदीश माझी पिता- भोला मांझी ग्राम- सझा वार्ड 02 पो0- बसत थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112503078715	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	रमेश कुमार मिश्रा पिता- सुरेद्र मिश्रा ग्राम- बडकी डेल्हा विजय बिगहा पो0- आर0एस0 गीया थाना- देलाहा जिला- गयाजी सीआर न0- 108112600054481	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	रीना देवी पति- सुभाष कुमार सिंह ग्राम- कदवा वार्ड 15 पो0+थाना- कदवा जिला- कटिहार सीआर नं0- 108112502446958	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	उर्मिला देवी पति- कपिल प्रसाद ग्राम- बेन वार्ड 07 पो0+थाना- वेन जिला- नालदा सीआर न0- 108112502079548	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	शैल कुमारी कुवर पति- स्व0 राम चद्र साह ग्राम- जैतपुर खुर्द वार्ड 08 पो0- जैतपुर कला थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ सीआर न0- 108112503495693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	नायडू देवी पिता- पुलिस शर्मा ग्राम गौंधी नगर इत्मादी वार्ड 05 पो0- सत्मादी थाना- बेलदौर जिला- खगडिया सीआर न0- 108112502432906	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	अनवरी खातून पति- मंगर कुरैशी ग्राम- राजेपुर वार्ड 13 पो0- राजेपुर थाना- मानिकपुर जिला अरवल सीआर न0- 108112503399112	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	अशोक यादव पिता- सोहर प्रसाद ग्राम- सरेन वार्ड 01 पो0- सरेन थाना- टेहटा जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112503550988	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	गजेद्रर यादव पिता- अधिकलल यादव ग्राम- गोशपुर वार्ड 01 पो0- गोरियारी थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501592748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	बिभा देवी पति- मुकेश यादव ग्राम- नया गाला गौशाला रोड वार्ड 18 पो0+थाना- मोकामा जिला- पटना सीआर न0- 108112502530398	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	नीलम पाडेय पति- सुरेद्र पाडेय ग्राम- घेवरा वार्ड 05 पो0- दरहोन थाना- कोचस जिला- रोहतास सीआर न0- 108112503430851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	तिलिया देवी पति- स्व0 लक्ष्मण रजक ग्राम- डुमरैल वार्ड 21 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112503690844	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	अकाश कुमार पिता- राजीव रंजन कुमार ग्राम- तरैनी वार्ड 05 पो0- बदी थाना- कतरीसराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112503585234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मो० चॉद पिता- मो० मुलतान ग्राम+पो०- सालेहपुर थाना- फलका जिला- कटिहार सीआर न०- 108112503068698	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सकुटी देवी पति- छोटे चौहान ग्राम- कन्हैयागज वार्ड 14 पो०- रूखाई थाना- चडी जिला- नालंदा सीआर न०- 108112502958797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	शिवनाथ सिंह पिता- बासदेव सिंह ग्राम- जहानपुर वार्ड 09 पो०- ककडिया थाना- खैरा जिला- सारण सीआर न०- 108112503441844	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	पवन कुमार पिता- बिजय साह ग्राम- मदारगज वार्ड 08 पो०- मदारगज थाना- अमडडा जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112403863725	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	मुकेश मडल पिता- टुको मडल ग्राम- नयागाव पचखट्टी वार्ड 02 पो०- जोरावरपुर थाना- परबत्ता जिला- खगडिया सीआर न०- 108112503317175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	किशन मेहता पिता- कृपाल मेहता ग्राम- फुलौत पश्चिमी वार्ड 03 पो०+थाना- फुलौत जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112503231084	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	जितनी देवी पति- रामसुंदर यादव ग्राम- कोशलीपट्टी वार्ड 18 पो०- कोशलीपट्टी थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न०- 108112503280956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	अमेरिका देवी पति- भूपेद्र पाल ग्राम- जीवछपुर पो0- महेशपुर थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501713316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मो0 कसीमा पिता- इलाही मिया ग्राम- इजहारचक वार्ड 02 पो0+थाना- नरहट जिला- नवादा सीआर न0- 108112503402237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	धीरज कुमार पिता- केवल यादव ग्राम- सतोष वार्ड 10 पो0- चतर थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न0- 108112503471301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	मीना देवी पति- महेशी महतो ग्राम- पचटकी यदु वार्ड 08 पो0- पचटकी यदु थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112301251717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सुमेश्वर राय पिता- धरम राय ग्राम- रघुनाथपुर वार्ड 09 पो0- रघुनाथपुर थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112402333081	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	नारायण साव पिता- कैलु साव ग्राम- जिलापुनरवास सिंहमन करारी पो0- सिंहमा थाना- कटीहानी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112503342919	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	कैली देवी पति- रामचद्र यादव ग्राम- गरवैया पो0- धमना थाना- बाराचट्टी जिला- गयाजी सीआर न0- 108112500638922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	राजेद्र महतो पिता- स्व० मुन्ना महतो ग्राम- प्रणार्वी बिगहा वार्ड 01 पो०- गोपालबाद थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीआर न०- 108112503365200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	जगदीश यादव पिता- सोही यादव ग्राम- पदमपुर पो०- बिजलपुर थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न०- 108112503262192	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	मो० ऐनैन अहमद पिता- शेख मजलूम ग्राम- मोहम्मदपुर पो०- मझुआ कला थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112600018310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	कुमारी गीता पति- अजित कुमार ग्राम- मल्हारी वार्ड 08 पो०- मल्हारी थाना- इमामगज जिला- गयाजी सीआर न०- 108112600043870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सजय कुमार राय पिता- उपेन्द्र राय ग्राम- जदाहा वार्ड 15 पो०- जाखड थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112500084293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	विभा देवी पति- मनोज कुमार राय ग्राम- डिहुली वार्ड 12 पो०+थाना- अगारघाट जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112503443014	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	आदित्य कुमार पिता- अजय महतो ग्राम+पो०- जसौली थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112503671173	कोकलियर इम्प्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

54	ओम कुमार पिता- अजय कुमार ग्राम+पो0- जसौली थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112503671157	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
55	सूरज राम पिता- नेउर राम ग्राम- अफौर के पूरब टोला पो0- अफौर थाना- नगरा जिला- सारण सीआर न0- 108112503593385	नी रिप्लेसेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
56	कन्हैया साह पिता- हिरा साह ग्राम- कल्याणपुर बंगरा पो0- बगरा थाना- महाराजगज जिला- सिवान सीआर न0- 108112503655348	Cataract+ Injection	10,000	दस हजार स्वीकृत।
57	रजमतिया देवी पति- ब्रह्मदेव यादव ग्राम- रूद्रखाप वार्ड 03 पो0- पडरावों थाना- जमोहर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112300181278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	नवजोत कुमार पिता- शम्भू कुमार सिंह ग्राम- गोरहैला वार्ड 07 पो0- गोरहैला थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503436077	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
59	मो0 मोइनुद्दीन कादरी पिता- मो0 जान अली ग्राम- मतौना वार्ड 07 पो0- दिवारी थाना- सुरसड जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503636629	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
60	हसबुन नेशा पति- सतार महम्मद ग्राम- बुचिया पो0+थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112503607858	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

61	नागो साह पिता- भिनकू साह ग्राम- महेशुआ पो07 बभनगामा थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112403029300	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
62	पूनम देवी पति- सत्येद्र कुमार ग्राम- गोरैला वार्ड 10 पो0- आर0 बी0 जैतीपुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300547655	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	प्रमोद प्रसाद पिता- रामावतार प्रसाद ग्राम- डेगौना वार्ड 01 पो0+थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112403864608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
64	सुभाष राय पिता- राम पुकार राय ग्राम- भतवलिया पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर नं0- 108112500421222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	अमर कुमार सिंह पिता- सचिदानंद प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- हरगोविन्दपुर थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112402268785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
66	सुमित्रा देवी पति- अजय कुमार सिंह ग्राम- पोसदाहा पो0- भगहि थाना- नरपतगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112503346680	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	श्याम बिहारी पाडेय पिता- सूर्य नारायण पाडेय ग्राम+पो0- नागपुरा थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112301198476	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	राजो देवी पति- अर्जुन पासवान ग्राम- चकनवादा पो0- ओपे थाना- औगारी जिला- नालदा सीआर न0- 108112300289087	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	रजनीश कुमार पिता- शैलेन्द्र कुमार ग्राम- बेउर जोडा कुआँ पो0+थाना- बेउर जिला- पटना सीआर न0- 108112300640604	Post Transplan t	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			62,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 62,75,000/- (बासठ लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~012586~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 389(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है संलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुलोचना देवी पति- स्व० बैकुंठ सिंह ग्राम- वीआईपी कॉलोनी हसनपुर चाई टोला वार्ड 48 पो०- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	चचल देवी पति- चन्दन दुबे ग्राम- बतरौलिया वार्ड 03 पो०- बाजिदपुर थाना- पारू जिला- मुर्जाफरपुर	हृदय रोग डीवीआर	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002586... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/2/2026

ज्ञापाक 390(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...११२५८६...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

1191(14)

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... 11/2/2026

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशा देवी पति- कामेश्वर पाल ग्राम+पो०- जमरोढ थाना- दिनारा जिला- रोहतास	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विद्यावती देवी पति- जवाहरलाल सिंह ग्राम- शुभंकर छपरा डीहपर पो०- गंगपुर सिसवन थाना- सिसवन जिला- सिवान	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कृतिका कुमारी पिता- गौतम उपाध्याय ग्राम- कतरी पो०- दनारा थाना- बिक्रम जिला- पटना	Wilson Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मालती देवी पति- ललन कुमार सिंह ग्राम- मालती कुंज पीसी कॉलोनी पो०- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

5	तन्या प्रवीण पिता- मो० अशरफ ग्राम+पो०- केवनी थाना- गरखा जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

391(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002586...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

**निदेशक,**

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक . .....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **05.02.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमला राय पिता- राम दयाल राय ग्राम- तकेर्यौ चांदचक पो0- पैगा थाना- भेल्दी जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	कमला देवी पति- स्व0 किशन सिंह ग्राम- रामू राय के टोला पो0- गोरेयाकोठी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			<b>₹ 2,30,000</b>	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 222586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 392114)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,  
राजाबाजार,  
पटना- 800014

पटना, दिनांक.. . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उस्मान अहमद पिता- मो० फुरकान अहमद ग्राम- राजा कॉलोनी गडहनी वार्ड 04 पो०- गडहनी थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर रजि न०- 3000620791	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	पहलाद यादव पिता- गोविन्द यादव ग्राम- बेनीगंज पो०- असथावा थाना- करंडे जिला- शेखपुरा यूएचआईडी न०- 3000587424	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	फिरदौस बानो पिता- मो० अली हसन ग्राम- भेरौखरा वार्ड 02 पो०- भेरौखरा थाना- पातेपुर जिला- वैशाली यूएचआईडी न०- 3000620104	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	सजिदा खातून पति- मो० अफगान ग्राम- पकठौल पो०- खिजिरचक थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न०- 3000619527	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	ललीता देवी पति- शिवलाल कुमार ग्राम- निजामपुर पो0- आईरा थाना- कुर्था जिला- अरवल रजि न0- अकित नहीं है।	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
6	विद्या नन्द पिता-धरम देव ग्राम-मगलपुर वार्ड 7 पोस्ट-पटनी थाना-रामगढवा जिला -पूर्वी चम्पारण रजि न0-3000621435	Pancreatitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			6,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,95,000/- (छः लाख पन्चानवें हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002586..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड स0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 393(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 001586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में ) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
CISRO Hospital,  
सगुना मोड, दानापुर,  
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम कृपाल पाल पिता- जामुन पाल ग्राम- राजखण्ड पो०- शम्भुपट्टी थाना- कर्पूरीग्राम जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	देवबली पिता- राजरूप राम ग्राम- टीमल बिगहा राजपरसा पो०- बलिया थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	दीपू कुमार पिता- महावीर महतो ग्राम- पटना पो०- सराय थाना- मनेर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	प्रकाश नारायण लाल पिता- सत्य देव नारायण राय ग्राम- ईस्ट गाँधी मैदान पो०+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	देवन्ती देवी पति- सुरेद्र किशोर सिंह ग्राम- बिनवलिया पो०- महुअवा थाना- शिकारपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

	जिला- पश्चिम चम्पारण			
6	हरराम यादव पिता- राम कुमार यादव ग्राम- भलुहीपुर महावीर अस्थान पो0- चौक आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	उचित कुमार पिता- सियाशरण चौहान ग्राम- सकरुला पो0- महानदपुर थाना- दीपनगर जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	शत्रुघ्न मुखिया पिता- मोती मुखिया ग्राम- सिलकोर पो0- बेरा थाना- जयनगर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	पूनम देवी पति- कामेश्वर सिंह ग्राम- सिसिरित टोला पो0- सिसिरित थाना- नोखा जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	रामाश्रय महतो पिता- होरिल महतो ग्राम- डुमरी पो0- खबरा थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	दुबे श्याम सिंह पिता- राजदेव सिंह ग्राम- सेवथारा पो0- सेवथा थाना- नारायणपुर जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	कन्हैयालाल पिता- अनिल कुमार ग्राम- काजीचक पो0+थाना- तेलमर जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	पप्पु साओ पिता- सोती साओ ग्राम- नासरीगंज पो0- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना	टोटल हीप रिपलेस्मेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

14	नैतिक कुमार पिता-मुकेश कुमार ग्राम-ऐतवारपुर पो0-कुरथौल थाना-परसा बाजार जिला-पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	अजनी ठाकुर पिता-शिव बचन ठाकुर ग्राम-महादेवपुर पो0+थाना मसौढी जिला-पटना	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
16	आशा देवी पति-अनिल प्रसाद केशरी ग्राम+पो0-खरगपुर थाना-सोनवर्षा कचहरी जिला-सहरसा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	राज कुमार साह पिता-लक्ष्मण साह ग्राम-बैजलपुर केशो पो0-सोनपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण	ड्रामा	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
18	अर्जुन कुमार शर्मा पिता-सरबल शर्मा ग्राम-रामजीचक दीघा पो0-दीघा थाना-दानापुर जिला-पटना	ड्रामा	75,000	पचहतर हजार स्वीकृत।
			17,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,35,000/- (सत्रह लाख पैंतीस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लौर ओज्ज प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।  
उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/2/2026

ज्ञापक 394(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,  
अर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी  
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय  
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ब्रजमोहन कुमार पिता- रामकिशोर सिंह ग्राम- कदमा पो०- सेमरहान थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
2	रीता देवी पति- श्याम साह ग्राम- कादिराबाद पो०- लालबाग थाना- ल०ना०वि०वि० जिला- दरभंगा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
3	देवसुंदरी देवी पति- सिगेश्वर यादव ग्राम- बकुआ पो०- भरगामा थाना- भेजा जिला- मधुबनी	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अंजलि कुमारी पति- कृष्णा कुमार ग्राम+पो०- बारहा थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	उमा कात मुखिया पिता- डोमि मुखिया ग्राम- छोटी कोनिया पो०- उसरी थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	नाजिमा खातून पति- कमल मुस्तफा ग्राम- सरजापुर पो0- रैयाम थाना- केवटी जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	सुभीता देवी पति- पुरुषोत्तम ठाकुर ग्राम+पो0- तरडीहा थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	नदन कुमार पिता- बैधनाथ साहनी ग्राम+पो0- जगवाण थाना- पतुना जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मो0 तैयव पिता- मो0 हनीफ ग्राम- धरहरा पो0- महादेवमठ थाना- आध्रामठ जिला- मधुबनी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	ललित कुमार यादव पिता- गुणेश्वर यादव ग्राम- नवारपट्टी पो0- नरमा नवारपट्टी थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	राम पुजन साहनी पिता-भिगु साहनी ग्राम-कुआडीडीह पोस्ट-राधागज थाना-भोरे जिला-गोपालगज	ड्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			₹ 8,40,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,40,000 / - (आठ लाख चालीस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्फ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

395(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/26  
निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
रूबन मेमोरियल अस्पताल,  
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,  
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,  
पटना-800013

पटना, दिनांक.. ....

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशीष कुमार पिता- धर्मद्र चौधरी ग्राम- कचनपुर पो0- रजासन थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	ACL Surgery	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	महावीर सिंह पिता- तेतर सिंह ग्राम+पो0- अम्बा थाना- अलौली जिला- खगडिया	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,75,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0.002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 396(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०...002586... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक,  
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,  
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.. .. .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुजीत कुमार पिता- बालमुकुद प्रसाद ग्राम- गुलानी पो०- भोकिलारपर थाना- हिलसा जिला- नालदा	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मदन यादव पिता- बुदेला यादव ग्राम- बीरपुर पो०- नगवां थाना- नौबतपुर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	मो० जुनैद फकर पिता- ग्यास उद्दीन ग्राम- कटरा पर पो०+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
4	रिशु राज पिता- चितरजन कुमार सिंह ग्राम- भोलाचक पो०- कोसुत थाना- धनरुआ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	हरिचरण ठाकुर पिता- मुन्नू ठाकुर ग्राम- खमीदौरा पो०+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	सुबहान अली पिता- ऐनुल हक ग्राम- भामोपाली पो0- राछोपाली थाना- बडहरिया जिला- सिवान	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	दानो देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम+पो0- बाराखुर्द थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	रानी कुमारी पिता- जनेशवर साव ग्राम- सिकरहट्टा खुर्द पो0- सिकरहट्टा कला थान- सिकरहट्टा जिला- भोजपुर	Surgery (Tympanoplasty)	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	खजमुदीन असारी पिता- छागुर मिया ग्राम- सिकठी पो0- अखलासपुर थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ	TAVR	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			8,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 .*P.025.86* द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

- वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 397(14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बुद्धा कैसर सेक्टर,  
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,  
रूपसपुर, बेली रोड  
पटना-801503

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नमिता देवी पति- नरेद्र कुमार भर्ती ग्राम- सोहजना वार्ड 10 पो०+थाना- झाझा जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रौशन खातून पति- अबू अकबर ग्राम- पपरौर वार्ड 11 पो०- पपरौर थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	सकीना खातून पति- मो० तैजबूल ग्राम- फुलवारी टोला वार्ड 23 पो०+थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	सविता देवी पति- चन्द्रिका राय ग्राम- लाल पोखर जगदीशपुर वार्ड 04 पो०- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० जलील अख्तर पिता- अब्दुल कादिर ग्राम- केराप वार्ड 02 पो०- केराप थाना- रफीगज जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	मंजू देवी पति- बिंदु कुमार राय ग्राम- सुपौल वार्ड 08 पो०- डढिया असाधर थाना- अगारघाट जिला- समसतीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रामा शकर साव पिता- सव० राम प्रवेश साव ग्राम- दितनावॉ पो०- दाउदपुर थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो० गफ्फार आलम पिता- मैजूदीन ग्राम- बगलवारी वार्ड 11 पो०- पनसीहत थाना- पहरकट्टा जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	जुलेखा खातून पति- मो० मूसा ग्राम- भेडमारा वार्ड 10 पो०+थाना- मनसाही जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	चंद्र मोहन सिंह पिता- रघुनाथ सिंह ग्राम- देकसारा वार्ड 09 पो०- टेउसा थाना- किशनगंज जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	रमेश राम पिता- स्व० पृथ्वी राम ग्राम+पो०- सुखपुर थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	इंदु देवी पति- स्व० अजय सिंह ग्राम- रसलपुर पो०- बुनियादगंज थाना- मुफ्फसिल जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	निकिता कश्यप पिता- मनोज कुमार ग्राम- पीएमसीएच आर्या कुमार रोड वार्ड 41 पो0- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	उषा देवी पति- मुन्ना मडल ग्राम- भलगुरी वार्ड 03 पो0- सुपौर थाना- टेटिया जिला- मुगेर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			9,90,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,90,000/- (नौ लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~0.02586~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा

सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 398(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीताराम मिस्त्री पिता- केदार मिस्त्री ग्राम- महमदपुर पो०+थाना- अमरपुर जिला- बाँका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	इंद्रजीत सिंह पिता- राम नरेश सिंह ग्राम+पो०+थाना- परवलपुर जिला- नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मो० साकीर आलम पिता- हासीम ग्राम- कमरा पो०- माधेपुर थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			2,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 001586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का

नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स० IDIB000H531 में अंतरित किया जा  
 है।  
 3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित  
 महीने/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुहर बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर  
 लिया जायगा।  
 4. यदि स्वीकृत/देश में किसी तरह की रूटि या आर्थिक भिन्ना हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर  
 चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को  
 कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपर्युक्त प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।  
 प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना  
 रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।  
 5. यदि महीने द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा कया ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया  
 जाय। महीने के चिकित्सापरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाला धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता  
 कोष", खता स०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना  
 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित  
 किया जाय।  
 6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।  
 7. आयुभान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अस्थापित लाभार्थी  
 को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
 इस अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वामाजान

—/६०

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/12/2026

शापाक 399 (14)

प्रतिनिधि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि  
 सलगन बैंक स०...की कृपे राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खालाधारक को कर  
 दिया जाय।  
 प्रतिनिधि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० सैनजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित  
 मरीजों को सूचनापूर्व एव आवश्यक कार्यावृत्त प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर  
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड  
पटना -801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुधीर कुमार पिता-स्व0 द्वारिका प्रसाद ग्राम-थाना रोड दानापुर पोस्ट-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला- पटना	Lap. Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	कामिनी देवी पति-सुजीत कुमार ग्राम-छोटी मडई रोड हाजीपुर पो0-हाजीपुर थाना-हाजीपुर नगर जिला-वैशाली	Lap. Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सोनु कुमार पिता-वासुदेव रविदास ग्राम-सलारपुर पो0-बेला तराढी थाना-नौबतपुर जिला-पटना	Lap. Appendec tomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	मनीष कुमार पिता-चदेश्वर प्रसाद शर्मा ग्राम-12ए इमसन रोड नियर पोस्ट आफिस दानापुर कैट पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	CLD ALD Liver	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,75,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0



स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल  
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस  
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक . . . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दरब देवी पति- तारकेश्वर उपाध्याय ग्राम+पो०- अजुआ थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	भवानी देवी पति- प्रशांत कुमार ग्राम- हेमराजपुर पो०- कामदेवपुर थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नागेश्वर प्रसाद पिता- गजाधर साव ग्राम- जगदम्बा सीन मेदनीमल पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			<b>2,20,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 401 (14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स0सं0-14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,  
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,  
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,  
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक..... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार दास गुप्ता पिता- स्व0 आधिर दास गुप्ता ग्राम- लगर टोली नाला रोड पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुंआ जिला- पटना	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	सर्वेश कुमार पिता- राजेन्द्र राय ग्राम+पो0- हेत्तनपुर थाना- शाहपुर जिला- समस्तीपुर	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	गुडिया देवी पति- अजय साव ग्राम- अरौत पो0+थाना- वेना जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	पशुपति नाथ शर्मा पिता- स्व0 सीता राम शर्मा ग्राम- हा0 न0- 76 मॉ निवास मिश्री टोला सुल्तानगंज पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	सोनू कुमार अकेला पिता- गिरधारी चौधरी ग्राम- राजा बीघा पो0+थाना- रफीगंज जिला- औरंगाबाद	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
			3,65,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 3,65,000/- (तीन लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 00.2586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/7/2026

ज्ञापाक 402(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 00.2586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/सभी संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
11/7/2026

स0स0'14/एम-11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
क्यूरिस अस्पताल,  
आर० के० पुरम मोड  
नियर सगुना मोड, दानापुर  
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राकेश कुमार पिता-नरेश रविदास ग्राम-हजरत साईं पो०-हजरत साईं थाना-धनरूआ जिला- पटना	ट्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
			65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,000/- (पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 403(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,  
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,  
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक .... .

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रूबी कुमारी पति- बरुण कुमार ग्राम- शीतल सेमरा पो०- रामपुर मीना थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2024/005177	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मास्टर अश्वनी राज सिंह पिता- रणजीत कुमार ग्राम+पो०- ओराबगीचा थाना- धरहरा जिला- मुंगेर केस फाईल न०- 19एफ2025/007406	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	बच्ची देवी पति- बिहारी चौपाल ग्राम- रामपुर अजरकबे पो०- रामपुर सघरी थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/000896	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	राधिका कुमारी माता- नीतू देवी ग्राम- खगहा पो०+थाना- मीरगज जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न०- 11एफ2025/010514	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	वीणा देवी पति- शिवजी सहनी ग्राम- भरौन पो0- महिसौथा थाना- नानपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2024/004797	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
6	शान्ति देवी पति- स्व0 कमल कात झा ग्राम- कल्याणपुर नॉर्थ पो0- कल्याणपुर थाना- विभूतिपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 18एफ2025/013237	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
7	महेश सिंह पिता- स्व0 बुद्ध सिंह ग्राम- काशीपुर चकबीबी पो0- बिदुपुर आर एस थाना- राजापाकर जिला- वैशाली केस फाईल नं0- 19एफ2025/005955	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
8	अनीता देवी पति- नन्दलाल साह ग्राम+पो0- बखरा थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/003211	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
9	मास्टर मनिर मिया पिता- मुस्तकीम मिया ग्राम+पो0- घोरपकरी थाना- इनरवा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/007113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	अशोक यादव पिता- परमेश्वरी प्रसाद यादव ग्राम- नरथुआ पो0- भागीपुर थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा केस फाईल न0- 11एफ2024/008059	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
11	इस्तखर पिता- शेख शहीद ग्राम- बकुलिया पो0- बनकटवा थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/002060	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत ।

12	मो० जाविर राईन पिता- नुजा राईन ग्राम+पो०- बनौल थाना- नानपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न०- 19एफ2025/006121	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	राज पिता- राम बाबू लाल ग्राम- 6एच/24 बी एच कॉलोनी भूतनाथ रोड पो०- बी एच कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2025/005800	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	हरेंद्र सहनी पिता- महेद्र सहनी ग्राम+पो०- अमैठा थाना- जैतपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2024/002737	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
15	सगीता कुमारी पिता- नदू पासवान ग्राम+पो०- बिशनपुर थाना- मधवापुर जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 19एफ2025/007283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अम्ब्रोस लूईस पिता- पेत्रूस लूईस ग्राम+पो०- बिसटोरिया थाना- रानीगज जिला- अररिया केस फाईल न०- 19एफ2025/005625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	ज्ञान्ती देवी पति- राम सिंगार यादव ग्राम+पो०- भीखपुर भगवानपुर थाना- एम एच नगर जिला- सिवान केस फाईल न०- 19एफ2025/004813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रीता देवी पति- निपेन कुमार राय ग्राम- पिपरा कॉलोनी पो०- पडरौना थाना- सहोदरा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2024/003373	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

19	जगत राय पिता- विद्यानन्द राय ग्राम- डीह पकोही पो0- पताही थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- केई/81193	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
20	सुरेश सिंह पिता- रघुवीर सिंह ग्राम- बरियारपुर पो0- श्रीसिया थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/005499	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	गुलशन खातून पति- मो0 इमतज ग्राम- मझौली खेतन पो0- खबरा थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/004384	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
22	सैरूल नेशा पति- जहिर असारि ग्राम+पो0- गाद बहुअरी थाना- पलनवा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/006189	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	रामाधार साह पिता- करझगन साह ग्राम- पकडिया पो0- अजगरी मठ थाना- बजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 18एफ2023/000102	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मरनी देवी पति- विन्देश्वर साह ग्राम- खुरसाहा पो0- लहुरिया थाना- बेला जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2024/005842	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	विभा देवी पति- घनश्याम राय ग्राम- गौसपुर सिकंदरपुर पो0- रजौरा थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2025/001593	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

26	शैल देवी पति- प्रमोद कुमार पडित ग्राम- हरही पो0- सिधपकला थाना- लदनियों जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 11एफ2024/009860	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	रूपा कुमारी पिता- लवलीन कुमार सिंह ग्राम+पो0- केवानी थाना- गरखा जिला- सारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/006231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सविता देवी पति- गिरिजा नन्द यादव ग्राम- टोपरा टोला पाडेय बसा पो0- श्रीमतपुर थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर केस फाईल नं0- सीवी/21554	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सुधा देवी पति- प्रमोद साह ग्राम- नगर पचायत सुरसड पो0+थाना- सुरसड जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025/000422	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शताक्षी कुमारी पिता- चद्र भूषण राय ग्राम- बभनटोली रसूलपुर इनायत पो0- बभनटोली थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2024/004257	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	बबन कुमार पिता- राम देव पाडेय ग्राम+पो0- धर्मपुर बान्दे थाना- शाहपुर जिला-समस्तीपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026/000274	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	राज कुमारी देवी पति- कन्हैया साह ग्राम+पो0- यपाहरा थाना- शकारगज जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/007344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			21,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,40,000/- (इक्कीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 00.2586... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, एंड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 404 (14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0..002586...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)  
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,  
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक ....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विककी कुमार पिता- सुभाष राउत ग्राम+पो०- बरुआरी थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर	Removal of Implants	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002586... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-0003040000914 खाता धारक का नाम-"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र वि. को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 405 (14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबन्धित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital  
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,  
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,  
Patna - 800020

पटना, दिनांक. . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	मीणा देवी पति- ग्रीश माझी ग्राम- अतौआ पो- गोनवा थाना- कादिरगज जिला- नवादा	हृदय रोग डीवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	अजय कुमार पिता- गोरेलाल चौधरी ग्राम+पो- गोनावा थाना- नवादा जिला- नवादा	हृदय रोग टीओएफ	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 0025PC..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 406(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)  
बी/29 पत्रकार नगर  
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है.–

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सौकत अली पिता- अब्दुल अजीज ग्राम- धर्मराज पो०- सुघरी थाना- भगवानपुर जिला- सिवान	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	शिवानी कुमारी पिता- मिथलेश सिंह ग्राम- महसोनी पो०- बघौर थाना- हलसी जिला- लखीसराय	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम . . . RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 407(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 0.02586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख 11/2/2026

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
Vista Hospital,  
1/1103 Near Patna Central School,  
Bypass Road, Jaganpura,  
Patna- 800027

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमिला देवी पति- राम बालक यादव ग्राम- सिगियोन पो- धमौरा थाना- अन्धाटारही जिला- मधुबनी	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता धारक का नाम- Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Canara Bank, शाखा का नाम- Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन  
ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 409 (14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.0.25.86... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,  
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,  
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,  
Patna – 801503

पटना, दिनांक.... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज वर्धन कुमार पिता- विपिन कुमार सिंह ग्राम- सोसपुर भराठ पो०- हासपुर थाना- नयागाव जिला- बेगूसराय	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	रौशन कुमार पिता- रामबिलाश मेहता ग्राम- सरहोचिया पो०- अचलपुर थाना- राघोपुर जिला- सुपौल	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			6,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छः लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002585 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 41174672661, खाता धारक का नाम- CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 410(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00258.6 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बी0एस0एल, आई केयर,  
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न0-2  
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक . . . . .

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **05.02.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	भगीया देवी पति-रामबाबु पडित ग्राम+पो0-फकरपुरा थाना-अरवल जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	राम विनय शर्मा पिता-गया शर्मा ग्राम-हेमनपुर पो0-बनौली खुर्द थाना-खानपुर खीडी मोड जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	धनौती देवी पति-राम भजन सिंह ग्राम-फकरपुरा पो0-फकरपुरा थाना+जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बसती देवी पति-कृष्ण जीवन राम ग्राम-बनौली खुर्द पोस्ट-बनौली खुर्द थाना-खानपुर खिरी मोड जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	बिनय कुमार राय पिता-शिव शकर सिंह गाम-मदनपुर ढावा पो0-फकरपुर थाना-अरवल जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	लालती देवी पति-बबन सिंह ग्राम-भुसादा पो0-कोरार थाना+जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	भुलेटन प्रसाद गुप्ता पिता-तारकेश्वर प्रसाद ग्राम-पवन भोजपुर पो0-पौने थाना-पवना जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	सायरा खातुन पति-मो0 गयासुद्दीन असारी ग्राम-बनौली खुर्द पोस्ट-बनौली खुर्द थाना-खानपुर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	मनदीप राम पिता-शनिचर राम ग्राम-बिशनपुरा बिहटा पो0-बिहटा थाना-बिहटा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मैमुन निशा पति-मो0 सतर ग्राम-बनौली खुर्द पो0-बनौली खुर्द थाना-खानपुर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 4/2/14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
10/2/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,  
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	गोपाल राय पिता-चनेश्वर राय ग्राम+पो०-रामपुर दियारा थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	हरेन्द्र राम पिता-बिजली राम ग्राम-भवानी टोला पो०-रामपुर दियारा थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	भुनेश्वर सिंह पिता-सीता राम सिंह ग्राम-रामपुर दियारा पो०-रामपुर दियारा थाना-मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	लालती देवी पति-स्व० रघुनाथ राय ग्राम-भवानी टोला पो०-रामपुर दियारा थाना-मनेर जिला-पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	मंजु देवी पति-मनोज पासवान ग्राम-रामपुर दियारा पो0-रामपुर दियारा थाना-मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	अर्जुन राय पिता-बाल गोविन्द राय ग्राम-निलकठ टोला गौरैया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	बिंदु देवी पति-अरविद कुमार ग्राम-शेरपुर पो0 शेरपुर थाना मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	गीता देवी पति-मुनिदर सिंह ग्राम-निलकठ टोला गौरैया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	मजरी देवी पति-राम दयाल राय ग्राम-हुलासी टोला पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	अमिर लाल राय पिता-राम ईश्वर राय ग्राम-हुलासी टोला पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	फूलझरीया देवी पति-राम ईश्वर राय ग्राम-हुलासी टोला पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	आरती देवी पति-गोपाल राय ग्राम-हुलासी टोला पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	कौशल्या देवी पति-छोटे लाल ग्राम-हुलासी टोला पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	पार्वती देवी पति-परमा राय ग्राम-हुलासी टोला पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	बीरभूसन ठाकुर पिता-दादरी ठाकुर ग्राम-हुलसी टोला पो0-हुलसी टोला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATRACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 021586...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं अर्थात् अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 413(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स०. 0.02586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
श्री साईं लायन्स नेत्रालय  
बी०/144, पी०सी० कालोनी  
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजनी कुमार पिता-मुनेश्वर शर्मा ग्राम+पोस्ट-मखदुमपुर थाना-अलीपुर जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	फूल कुमार देवी पति-विशुनधारी यादव ग्राम-मनियार पो०-बिशुनगज थाना-बिशुनगज ओ०पी० जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सीता देवी पति-वेद प्रकाश आर्य ग्राम-मलाही बाजार पो०-मलाही 01 थाना-मलाही जिला-पूर्वी चम्पारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	रेशम देवी पति-स्व० जगरनाथ प्रसाद ग्राम-दुर्गा चरण लेन पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	जमन्ती देवी पति-जमीदार प्रसाद ग्राम-आदर्श नगर एतवारपुर कुरथाऊर पो0-कुरथौल थाना-परसा बाजार जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	उर्मिला देवी पति-भुनेश्वर साव ग्राम-मिलनपाडा खुशकी बाग पो0-खुशकी बाग थाना-सदर जिला पूर्णिया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	महेन्द्र साह पिता-स्व0 सुखदेव साह ग्राम-इजरी श्री राम पो0-महदह वार्ड 12 थाना-मुफसिल जिला-बक्सर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	महासुन्दरी देवी पति-बासो रजक ग्राम-सिपारा बलवापर पो0-कावा थाना-हिलसा जिला नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	शम्भु प्रसाद पिता-सरयुग प्रसाद ग्राम-लाल इमली पटना सिटी पो0-माधव मिल्स थाना-माल सलामी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	अखिलेश कुमार पिता-बाबु लाल सिंह ग्राम-पनारी पो0-पनारी वार्ड 11 थाना-बेलागज जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 001586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 415(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 102586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
10/2/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर  
अपोजिट लोयला स्कुल कुर्जी  
पटना 801105

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामाश्रय पासवान पिता-रामवृत्त पासवान ग्राम-नयनसुख बीघा पो०-खेमकरन थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	शिव नन्दन चौधरी पिता-गुलाब चौधरी ग्राम-कुर्थाडीह पो०-कुर्था थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	उपेन्द्र राम पिता-रमेश राम ग्राम-खेमकरन पो०-कुर्था थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शिवब्रत देवी पति-सुरेन्द्र साव ग्राम-धमौल पो०-इब्राहिमपुर थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	एतवरिया देवी पति-रामदेव पासवान ग्राम-खेमकरण पोस्ट-सराय थाना-कुर्था जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	जयश्री सिंह पति-जितेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-कोयर टोला अनैठा पो0-अनैठा थाना-आरा नवादा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सुषमा देवी पति-रमाकांत सिंह ग्राम+पो0-बिछियावा थाना-संदेश जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	जगत पासवान पिता-देवकी पासवान ग्राम-तेतरी पो0-नदवा थाना-धनरूआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	मालती देवी पति-शिवनाथ चौधरी ग्राम-तेतरी पो0-नदवा थाना-धनरूआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	कौशल्या देवी पति-टुन्नी राम ग्राम-तेतरी पो0-नदवा थाना-धनरूआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	रामन्ती देवी पति-सतेन्द्र चौधरी ग्राम+पो0-मधुभान थाना-धनरूआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	धानोमति देवी पति-सुरेश यादव ग्राम-बाजीतपुर पोस्ट-कोचाहसा थाना-किजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	राम प्रवेश बिन्द पिता-शिव बालक बिन्द ग्राम+पोस्ट-कोचाहसा थाना-किजर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	रफत जमा पति-मोहम्मद खली कुज्जमों ग्राम-बाजीदपुर पो0-कोचाहसा थाना-किजर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	काति देवी पति-श्याम नन्दन माझी ग्राम+पो0-अख्तयारपुर थाना-बिक्रम जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	परीखन यादव पिता-चलितर यादव ग्राम+पो0-खजुरी थाना-करपी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	सुमिन्तरी देवी पति-रामेश्वर बिद ग्राम-जुरी बीगहा पो0-कोचाहसा थाना-किजर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	दौलती देवी पति-रामजन्म सिंह ग्राम-जुरी बीगहा पो0-कोचाहसा थाना-किजर जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	गणेश सिंह पिता-हरखधारी सिंह ग्राम+पो0 शकरपुर थाना-किजर जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	उमेश सिंह पिता-रामेश्वर सिंह ग्राम-बधु बिगहा पो0-कोचाहसा थाना-किजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	लालझरी देवी पति-नागेन्द्र भगत ग्राम-मुरारी पो0-सलारपुर थाना-करपी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	उदय कुमार अरविन्द पिता-कृपाली पासवान ग्राम-मोबारकपुर पोस्ट+थाना-कुर्था जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	मीना देवी पिता-झाडी चौधरी ग्राम-निजामपुर पोस्ट-आईरा थाना-कुर्था जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	श्रधा देवी पति-स्व० भोला गोस्वामी ग्राम-कुर्था पो०-कुर्था थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	केशरी देवी पति-प्रमोद कुमार पकज ग्राम-सचई पो०+थाना-कुर्था जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	करीमन माझी पिता-करत माझी ग्राम-कुर्थाडीह पो०-कुर्था थाना-कुर्था जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	रामचन्द्र माझी पिता-गागु माझी ग्राम-कुर्था पो०-कुर्था थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	जमीला खातुन पति-लाल मोहम्मद असारी ग्राम-साची पो०-कुर्था थाना-कुर्था जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	रानी देवी पति-लालजी प्रसाद ग्राम-शास्त्री लाईन पो०-जी०पी०ओ० थाना-जक्कनपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	आशा देवी पति-महेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-नियामतपुर पोस्ट-गोराहवन थाना-मसौडी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

31	गोवर्धन सिंह पिता-लखीचन्द्र सिंह ग्राम+पो0-इब्राहिमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	सुरेश पंडित पिता-जग नारायण पंडित ग्राम-पिजवारा पो0-पिजवारा थाना-कुर्था जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	बिशुनदेव सिंह पिता-काजी सिंह ग्राम-मुरारी पो0-सलारपुर थाना-करपी जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	राम रतिया देवी पति-देव लाल यादव ग्राम+पो0-इब्राहिमपुर थाना-कुर्था जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	देवलाल यादव पिता-राम दास यादव ग्राम-धमौल पो0-इब्राहिमपुर थाना कुर्था जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	सितामणी देवी पति-कृष्णा चौधरी ग्राम-पिजवारा पो0-पिजवारा थाना-कुर्था जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	ललन यादव पिता-खेदु यादव ग्राम-मुरारी पो0-सेलारपुर थाना करपी जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	सुबोध मिश्र पिता-राधा मोहन मिश्र ग्राम-सचई पोस्ट-कुर्था थाना-कुर्था जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
39	राजमणी देवी पति-बच्चु यादव ग्राम-मोतीपुर पो0-पिजरावा थाना-कुर्था जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

40	अल्फी देवी पति-सूरजदेव यादव ग्राम-मोतीपुर पो0-पिजरावा थाना-कुर्था जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	पान मोहम्मद पिता-मो0 वशील ग्राम-भुवालपुर टोले किशनपुरा पो0-भुवालपुर थाना-मढौरा जिला-सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	चदेश्वर प्रसाद पिता-बोध प्रदस ग्राम-सरैया बसत पो0-सरैया बसत थाना-तरैया जिला-सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	सुनीता देवी पति-सुनील ठाकुर ग्राम-मुरवा खास पो0-गम्हरीया थाना-इसुआपुर जिला-सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	सजमा खातुन पति-पान मोहम्मद ग्राम-भुवालपुर टोले किशनपुरा पो0-भुवालपुर थाना-मढौरा जिला-सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	बच्ची देवी पति-भरत मिश्रा ग्राम-खैरनपुर पो0-पकरी थाना मशरक जिला-सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002506 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

416 (14)

पटना, दिनांक

11/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
**Bright Sight Eye Hospital,**  
**26B Saket, 2<sup>nd</sup> Floor,**  
**Beside Disha Deaddiction Centre,**  
**Patliputra Colony, Patna - 800013**

पटना, दिनांक . . . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **05.02.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महेश्वर राय पिता-राम बिलास राय ग्राम-कल्याणपुर पो०-चदवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	प्रदीप राय पिता-लोचन राय ग्राम-कल्याणपुर पो०-चदवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मितु देवी पति-शत्रुघ्न यादव ग्राम-धनी पो०-तेज बिगहा थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शांति देवी पति-गुनगुन दास ग्राम-बढौना पो०-तेज बिगहा थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	चिता देवी पति-हाकिम जमादार ग्राम-परसा बाजार बढौना पो0-तेत बीघा थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	सजय साह पिता-राम एकबाल साह ग्राम-कल्याणपुर पो0-चन्दवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	रामाशीष साह पिता-योगेन्द्र साह ग्राम भरथुआ पो0-औराई थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	हरिचन्द्र साह पिता-अवतार साह ग्राम-कल्याणपुर पो0-चन्दवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	प्रगास सहनी पिता-महावीर सहनी ग्राम-घनश्यामपुर बेसी पो0-घनश्यामपुर थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	वकील सहनी पिता-बिलास सहनी ग्राम+पो0-घनश्यामपुर थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	रामदेव राय पिता-मनी राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चन्दवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	रघुनाथ सिंह पिता-जयलाल सिंह ग्राम-ठाहर कोन्हा पो0-रुन्नी सैदपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला सीतामढी	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	मातवर राय पिता-डोमी राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चन्दवारा थाना-औरई जिला मुजफ्फरपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	पपती देवी पति-बलि यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	रामेश्वर मिस्त्री पिता-बाबु चन्द्र मिस्त्री ग्राम-भीखनपुर बरबट्टा पो0-नोनाही थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	देवन्ती देवी पति-पारस यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	मिथलेश यादव पिता-सकलदीप यादव ग्राम-बरबट्टा पो0-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	शाति देवी पति-जगत ग्राम-अमथुआ पो0-काजी सराई थाना काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	सोहनी देवी पति-पजाबी मिस्त्री ग्राम-अमथुआ पो0-अमथुआ थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	उमेश प्रसाद पिता-मुखलाल यादव ग्राम-हब्बीपुर पोस्ट-काजीसराय थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

21	शिव शकर महतो पिता-काशी महतो ग्राम-अमथुआ पोस्ट-काजी सराय थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	जगत साव पिता-गोविदा साव ग्राम-अमथुआ पो0-काजी सराय थाना-काको जिला जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	हदीशा खातुन पति-मो0 इसराईल ग्राम-खैरा दरगाह पो0-रोसडा थाना रोसडा जिला समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	वीणा देवी पति-गगा सागर ग्राम-अमसौर पो0-खानपुर थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	अरुण पासवान पिता-पलटन पासवान ग्राम-गगापुर पो0-गगापुर थाना-मुसरी घरारी जिला समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	बटेश्वर राय पिता-राम उचित राय ग्राम-मोरवा गढ पोस्ट-मोरवा थाना-ताजपुर जिला समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	मुनेश्वरी देवी पति-जामुन चौधरी ग्राम-लसकारा पो0-मोरवा थाना ताजपुर जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	राम वरन शर्मा पिता-दरोगी शर्मा ग्राम-मोरवाडीह पो0-मोरवा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

29	सुमित्रा देवी पति-विशेश्वर महतो ग्राम+पो0-गगापुर थाना मुसरी घरारी जिला- समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	श्याम सुन्दरी देवी पति-चन्द्रिका यादव ग्राम-धनी बीगहा पो0-तेज बिगहा थाना-काको जिला-जहानाबाद	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	सूर्य नारायण साह पिता-बतहु साह ग्राम-रजखा रामपुर पो0-मोरवा थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	अमरनाथ पासवान पिता-राम सेवक पासवान ग्राम-गगापुर पो0-गगापुर थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	देवकी देवी पति-पलटन पासवान ग्राम-गगापुर पो0-गगापुर थाना-मुसरी घरारी जिला समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	जामुन चौधरी पिता-गणेश चौधरी ग्राम-लसकारा पो0-मोरवा थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	ननकी सहनी पिता-भूठन सहनी ग्राम-लाटबसेपुरा पो0 लाटबसेपुरा थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK,

KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड स० UCBA0001894  
अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

417(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,  
राजवशी नगर,  
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजिटर राय पिता- चंदर राय ग्राम- अम्मा नरबीरपुर पो०- भदवर थाना- चादी जिला- भोजपुर	ड्रामा	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
2	अनुप्रिया देवी पिता- रामविचार राय ग्राम- पेठिया बाजार पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 002578 ..... मूल रूप में सलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नही हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 408(14)

पटना, दिनांक

11/2/2016

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Ashis Joint Replacement Care Private limited,  
5th Floor, severa Hospital Campus,  
lohiya Nagar, Kankar Bagh, Patna - 800020

पटना, दिनांक 11/2/2026

विषय -- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पुष्पा कुमारी पति-- ऋषिदेव राय ग्राम-- गढी मोहनपुर पो०+थाना-- मोहनपुर जिला-- समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	ललिता देवी पति-- शकर राम ग्राम-- सी42 एजी कॉलोनी पो०-- आशियाना नगर थाना-- शास्त्रीनगर जिला-- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० D.O.25.79  
... .. मूल रूप में संलग्न
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 411(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सेंटर फार साईट ए/31  
पी०सी० कोलनी कंकडबाग  
बिहाईड ग्रेवीटी माल  
नियर ओल्ड तिवारी बेचर  
पटना 800020

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	माधुरी देवी पति- मनोहर कुमार ग्राम- बिचली गली खाजपुरा पो०- बी भी कॉलेज थाना- हवाई अड्डा जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	चुनमुन देवी पति- माधो साह ग्राम- निशक बिशुनपुर पो०- परसरामपुर थाना- अमनौर जिला- सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	रजिया खातून पति- मोहम्मद कमरुद्दीन ग्राम- महिनावा बाजार पो०+थाना- मनेर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	रजो देवी पति- स्व० ऐमन महतो ग्राम+पो०- दाउदपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	मुन्नी देवी पति- रामाशीष शर्मा ग्राम- छोटी नगला पो0- बेगमपुर थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	कृष्णा देवी पति- भोला प्रसाद ग्राम- नेहरू टोला लल्लू बाबू का कुचा पो0- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	मोहम्मद पिता- मो0 कैसर ग्राम- मीरदाद पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	शमशुल खान पिता- अब्दुल सत्तार खान ग्राम- शाह फसाहत का मैदान नियर इमली तल पटना सिटी पो0- झाऊगज थाना- चौक जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	लाल दास प्रसाद पिता- मोती सिंह ग्राम- कोठिया मिर्चक कोठिया पो0- कोठिया थाना- दीदारगंज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मेघनाथ महतो पिता- भोला महतो ग्राम- जमुनापुर पटना सिटी पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	मंजू देवी पति- राजेंद्र प्रसाद ग्राम- दाहूचक नगला पटना सिटी पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	अहिल्या देवी पति- रमेश राय ग्राम- देवी मंदिर के पास बाबूचक कुर्जी पो0- मोहम्मदपुर थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	आरती देवी पति- विजय शुक्ला ग्राम- तिवारी मटिहनिया पो- सिपाया थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगज	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	मो० मुमताज आलम पिता- मो० यासीन ग्राम- ईशापुर पुल के निकट पो+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०. 002580 मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर भर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत -- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा  
निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक

4/4(14)

पटना, दिनांक

11/1/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मेराज असारी  
पिता- नसरुल्लाह असारी  
ग्राम+पो०- माधोपुर  
थाना- चिरैया  
जिला- पूर्वी चम्पारण  
पिनकोड- 845415

पटना दिनांक .....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मेराज असारी पिता- नसरुल्लाह असारी ग्राम+पो०- माधोपुर थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845415	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-11881131563, खाता धारक का नाम- SAGIRA KHATOON W/O MERAJ ANSARI, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- MAHUAWA, IFSC कोड स०- SBIN0008182 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

निदेशक  
20/2/2028

विभाग, पटना को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।  
प्रतिनिधि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना।

सलान चेंक नं० 002586 की कल राशि का अंतरण उपरोक्त कलिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर  
प्रतिनिधि-बाल्या प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करने हेतु अनुरोध है कि



11/2/2028

पटना, दिनांक

कापाक 444 (14)



Generally used abbreviations

posit	Pr = Principal	
ft	proc = Processing Change	
= Dishonour	rd = Recurring Deposit	
bit	ret/rtn = Return	
ate of Birth	Rnd = Round of	
tronic Fund Transfer	sb = Saving Bank	
operative	SC = Short Credit	
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक



State Bank of India

Savings Bank Account  
 CIF No : 81540957776  
 Account No : 11881131563  
 Customer Name: SAGIRA KHATOON

MAHUAWA  
 VILL PO-MAHUWA VIA-CHIRAIYA

MERAJ ANSARI

S/D/W/H/o: W/O MERAJ ANSARI  
 Address: W/O Meraj Ansari

Madhopur  
 Phone: 006250  
 Email:  
 D.O.B. (If Minor):  
 MOP.: EITHER OR SURVIVOR.  
 Nom. Reg. No.:

- Phone: 273868  
 Email: sbi.08182@sbi.co.in  
 Branch Code: S182  
 Date of Issue: 04/10/2018  
 04/10/2018 8641621 8182  
 IFSC: SBIN0008182  
 MICR: 844002510  
 CONTINUATION  
 Branch Manager



स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
सतीश कुमार  
पिता- ब्रह्मदेव प्रसाद  
ग्राम- भगवान बीगहा  
पो०- हब्बीपुर  
थाना- एकगर साराय  
जिला- नालदा  
पिनकोड- 801301

पटना दिनांक . . . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतीश कुमार पिता- ब्रह्मदेव प्रसाद ग्राम- भगवान बीगहा पो०- हब्बीपुर थाना- एकगर साराय जिला- नालदा पिनकोड- 801301	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-41560448391, खाता धारक का नाम- SATISH KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- EKANGARSARAI, IFSC कोड स०- SBIN0012599 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 445(14)

पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 001586 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सामान्य प्रयोग के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले संक्षेप / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

a/c = Account/खाता	Csh = Cash/कैश	Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल
adj = Adjustment/समायोजन	dep = Deposit/व्यय	Pr = Principal/मूलधन
Amt = Amount/राशि	Dft = Draft/ड्राफ्ट	Proc = Processing Charge/प्रक्रिया प्रभार
Ar = Arrear/अकारवासी	dish/dsh = Dishonor/अकारवासी	rd = Recurring Deposit/आवर्ती जमा
bal = Balance/शेष	DR = Debit/कम	ret/rtn = Return/वापसी
Capn = Capitalisation/पूंजीकरण	DOB = Date of Birth/जन्म तिथि	Rnd = Round off/पूर्णांकित
Chg/ch = Charge/प्रभार	eft = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	sb = Savings Bank/संचयन बैंक
Chq = Cheque/चेक	Inop = Inoperative/निष्क्रिय	SC = Short Credit/वॉल्ट क्रेडिट
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्वाधीन अनदेश
Clos = Closure/समाप्ति	Int / In = interest/व्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/संग्रहण	lon/loan/ऋण	tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण
Comm. = Commission/कमीशन	min = Minimum/न्यूनतम	txn = Transaction/वैलेन
COR/CORR = Correction/संशोधन	os = Outstanding/अकारवासी	Wdl = Withdrawal/अहस्त
CR = Credit/क्रेडिट	P&T = Postal Charges/डाक प्रभार	+MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/जमा बकाया (संचयन बैंक + लिंक्ड मॉडल खाता)



Branch: EKANGARSARAI, DISTT-NALANDA Code: 12599  
H/O SRIMATI CHANDRAMANI DEVI

Email: sbi.12599@sbi.co.in  
Phone No.: 7506184188  
IFSC: SBIN0012599

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00  
MICR: 803002506

Name: Mr. Satish Kumar

S/D/W/H/o : BRAHMDEV PRASAD

CIF Number : 01110675198

Account No.: 41560448391

A/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : S/O: Brahmdev Prasad, Vill-bhaganvan Bish  
a. post-habbipur  
Ga

Phone No. :

Email :

D.O.B. (If Minor):

PFO Number :

MOP: SINGLE

A/c opening Dt: 04/01/2023


Nom Ros No:

Customer's PAN: FWWP50652P

Date of Issue: 04/01/2023  
FIFST

Post Code: 801301

Sr. Citiz Flag:



निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रामचन्द्र सिंह  
पिता- दशरथ सिंह  
ग्राम+पो०- करमा  
थाना- सूर्यपुरा  
जिला- रोहतास  
पिनकोड- 802212

पटना दिनांक.. ..... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामचन्द्र सिंह पिता- दशरथ सिंह ग्राम+पो०- करमा थाना- सूर्यपुरा जिला- रोहतास पिनकोड- 802212	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			₹ 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002586 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-3112008800001031, खाता धारक का नाम- RAM CHANDRA SINGH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम- SURAJPURA, IFSC कोड स०- PUNB0311200 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 446 (14)

पटना, दिनाक 11/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 0.02.586 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

